

राजस्व लोक अदालत ( न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- चक सरदारपुरा  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0 )  
वाद सं0 : 197 सन 2018  
अनवान :-

1. दलीपसिंह पुत्र शीशपाल जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. शीशपाल पि0मु0 अर्जन जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।
2. गुडीदेवी उर्फ विमला पुत्री शीशपाल जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।
3. जैता पुत्री शीशपाल जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
5. मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक शाखा नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

।

उपस्थित : श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :-

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " ( न्याय आपके द्वार - 2018" ) में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 26 डीपीएन के खाता संख्या 40/40 के प0न0 335/444(59) किला न0 11 ता 14/1.012हैक् 18/1 की 0.111हैक् , 19 ,20/0.506हैक् प0न0 334/444(60) किला न0 1 ता 5 प्रत्येक 0.228हैक् , 6 ता 10 प्रत्येक 0.2530हैक् , 11/1 की उत्तरी 0.194हैक् , 12/1 की उत्तरी 0.113हैक् , 13/1 की उत्तरी 0.113हैक् 14 ता 17/1.012हैक् , प0न0 333/444(61) किला न0 5/0.2280हैक् , 6/0.2530 ,15/1 की 0.193हैक् , प0न0 331/444(63) किला न0 21/0.240हैक् 22/0.2280 ,प0न0 330/440(64) किला न0 16/1 की 0.0130हैक् 17/1 की 0.0890हैक् , 23/0.2280हैक् , 24/0.2280 ,25/0.1770हैक् , प0न0 330/445(79) किला न0 4/3 की 0.107हैक् , 5/0.280 ,प0न0 331/445(80) किला न0 1/2 की 0.228हैक् 2/2 की 0.228हैक् 9 की 0.253हैक् , 9/0.253हैक् 10/2 की 0.126हैक् 86/39 मीन 0.89हैक् खाला 90/17 मीन की 0.089हैक् रास्ता 91/10 मीन की 0.139हैक् रास्ता 91/29 मीन की 0.038हैक् रास्ता कुल 8.861हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पिता अर्थात् वादी के दादा के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने लोक भावना से प्रेरित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने अपने हकों का त्याग कर दिया है वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बहिब दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है राजीनामा शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा अर्जन के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा होता है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने अपने हकों का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है जिसे प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश कर दिया है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 26 डीपीएन के खाता संख्या 40/40 के प0न0 335/444(59) किला न0 11 ता 14/1.012हैक् 18/1 की 0.111हैक् , 19 ,20/0.

S. Arid

506हैक प0न0 334/444(60) किला न0 1 ता 5 प्रत्येक 0.228हैक ,6 ता 10 प्रत्येक 0.2530हैक , 11/1 की उत्तरी 0.194हैक , 12/1 की उत्तरी 0.113हैक , 13/1 की उत्तरी 0.113हैक 14 ता 17/1.012हैक , प0न0 333/444(61) किला न0 5/0.2280हैक , 6/0.2530 ,15/1 की 0.193हैक , प0न0 331/444(63) किला न0 21/0.240हैक 22/0.2280 ,प0न0 330/440(64) किला न0 16/1 की 0.0130हैक 17/1 की 0.0890हैक , 23/0.2280हैक , 24/0.2280 ,25/0.1770हैक , प0न0 330/445(79) किला न0 4/3 की 0.107हैक , 5/0.280 ,प0न0 331/445(80) किला न0 1/2 की 0.228हैक 2/2 की 0.228हैक 9 की 0.253हैक , 9/0.253हैक 10/2 की 0.126हैक 86/39 मीन 0.89हैक खाला 90/17 मीन की 0.089हैक रास्ता 91/10 मीन की 0.139हैक रास्ता 91/29 मीन की 0.038हैक रास्ता कुल 8.861हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- अखेर पांच हजार रूप्ये का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

*S. Azab*  
शिविर प्रभारी  
राजस्व लोक दालत-2018  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
कैम्प कोट-चक सरदारपुरा

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

राजस्व लोक अदालत ( न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट-  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सैयद शीराज अली जैदी ( आर.ए.एस)

अनवान :-

1. दलीपसिंह पुत्र शीशपाल जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. शीशपाल पि०मु० अर्जन जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।
2. गुडीदेवी उर्फ विमला पुत्री शीशपाल जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।
3. जैता पुत्री शीशपाल जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
5. मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक शाखा नोहर।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 197 सन 2018 निर्णय दिनांक 01.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 26 डीपीएन के खाता संख्या 40/40 के प०न० 335/444(59) किला न० 11 ता 14/1. 012हैक् 18/1 की 0.111हैक् , 19,20/0.506हैक् प०न० 334/444(60) किला न० 1 ता 5 प्रत्येक 0.228हैक् ,6 ता 10 प्रत्येक 0.2530हैक् , 11/1 की उत्तरी 0.194हैक् , 12/1 की उत्तरी 0.113हैक् , 13/1 की उत्तरी 0.113हैक् 14 ता 17/1.012हैक् , प०न० 333/444(61) किला न० 5/0.2280हैक् , 6/0.2530 ,15/1 की 0.193हैक् , प०न० 331/444(63) किला न० 21/0.240हैक् 22/0.2280 ,प०न० 330/440(64) किला न० 16/1 की 0.0130हैक् 17/1 की 0.0890हैक् , 23/0.2280हैक् , 24/0.2280 ,25/0.1770हैक् , प०न० 330/445(79) किला न० 4/3 की 0.107हैक् , 5/0.280 ,प०न० 331/445(80) किला न० 1/2 की 0.228हैक् 2/2 की 0.228हैक् 9 की 0.253हैक् , 9/0.253हैक् 10/2 की 0.126हैक् 86/39 मीन 0.89हैक् खाल्सा 90/17 मीन की 0.089हैक् रास्ता 91/10 मीन की 0.139हैक् रास्ता 91/29 मीन की 0.038हैक् रास्ता कुल 8.861हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- अखेर रूप्ये पांच हजार का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

  
शिवर प्रभारी

राजस्व लोक दालत-2018  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
कैम्प कोट-चक सरदारपुरा